बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

आदेश

यह आदेश सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 10926/15 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 18.08.2015 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में निर्गत किया जा रहा है। आदेश का सुसंगत अंश निम्नलिखित है:–

Since this Court has certain trust and faith on the Principal Secretary, Department of Education, Government of Bihar, therefore the various grievances raised ty the two petitioners as well as the manner in which the short- listing of candidates have been done for appointment on the post of Director, Rural Institute Birauli at Samastipur are required to be looked into at his level.---------------------- Some of the candidates , in fact , so short-listed or recommended, do not have the eligibility. He further goes to the extent of saying that recommendation made by the committee does not carry the signature of either the Principal Secretary or the Director, Department of Education , much less the 3rd Member who is supposed to be a teacher in Veer Kunwar Singh University.

After reviewing the situation and going through the records an apporopriate dicision should be taken. No appointment on the basis of the recommendation or short-listing will be done till the Principal Secretary takes a decision on the controversy.

2. सी0 डब्ल्यू0 जे0 सी0 सं0 10926/15 में पारित न्यायादेश के आलोक में दोनों वादी डा0 सुनील कुमार एवं श्री लक्ष्मी महतो के संबंध में सुनवाई की गयी। दोनों आवेदकों के अभ्यावेदन एवं कार्यालय में उपलब्ध कागजातों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि उक्त आवेदकों के द्वारा विज्ञापन के आलोक में समर्पित आवेदन की समिति द्वारा Shortlisting में निम्नलिखित त्रुटि प्रतिवेदित की गयी :–

क्र0	आवेदक का नाम	जन्म तिथि	शैक्षणिक योग्यता	शैक्षणिक अनुभव	अभ्युक्ति
1.	डा0 सुनील कुमार	15.12.1974	1. M.Sc (Math) 1990 2. Ph.D. - 1998 (LNMU)	1. पूर्णरूपेण अस्थायी व्याख्याता के रूप में SMRC समस्तीपुर में कार्यरत (आयोग से अनुशंसा प्राप्त नहीं) 2. ग्रा0 प्र0 बिरौली में दिनांक 09.08.2010 से अनुबंध पर नियुक्त	आवेदक 10 वर्षों का शैक्षणिक अनुभव नहीं रहने के कारण योग्य नहीं।
2.	डा0 लक्ष्मी महतो	05.01.1972	1. M.A. (Geography) 2. Ph.D (Geography) 2010 (P.U.)	1. ग्रा0 प्र0 विरौली में अनुबंध पर व्याख्याता के रूप में कार्यरत 2. एम0 एस0 कॉलेज, सोनीहर (अलौली), खगड़िया में फरवरी 2000 से अवैतनिक Visiting Professor के रूप में कार्यरत	आवेदक 10 वर्षो का व्याख्याता के रूप में अनुभव नहीं रहने के कारण योग्य नहीं हैं।

3. डा0 सुनील कुमार पिता श्री राधेश्वर दास एवं डा0 लक्ष्मी महतो, पिता श्री विश्वेश्वर महतो दोनों के अभ्यावेदन में समर्पित किया है कि डा0 सुनील कुमार, S.M.R.C. College समस्तीपुर में दिनांक

13.07.1992 से दिनांक 08.08.2010 तक गणित विषय में व्याख्याता के रूप में कार्यरत रहे हैं। उनके अनुसार उन्हें शिक्षण कार्य में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव प्राप्त है। समिति द्वारा इनके Shortlisting में इनकी जन्म तिथि को 15.12.1974 दिखलाया गया जबकि डा0 सुनील कुमार के वायो डाटा एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के मैट्रिक के प्रमाण पत्र की छाया प्रति में जन्म तिथि 05.01.1964 अंकित है।

डा0 लक्ष्मी महतो के संबंध में उक्त अभ्यावेदन में समर्पित किया गया कि वे M.S.College अलौली, सोनिहार, खगड़िया में फरवरी 2000 से जुलाई 2010 तक अवैतनिक Visiting Professor के रूप में कार्यरत रहे हैं एवं 04 अगस्त 2010 से अनुबंध पर व्याख्याता के रूप में भूगोल विभाग में ग्रामीण प्रतिष्ठान विरौली समस्तीपुर में कार्यरत हैं।

4. उपर्युक्त दोनों आवेदकों के अभ्यावेदन एवं उपलब्ध अभिलेख से स्पष्ट होता है कि ग्रामीण प्रतिष्ठान विरौली में निदेशक की नियुक्ति हेतु प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में प्राप्त आवेदनों की Shortlisting में त्रुटियां रह गयी है। अतः न्याय के दृष्टिकोण से उचित होगा कि सभी 20 (बीस) आवेदकों को, जिन्होंने विज्ञापन के आधार पर आवेदन दिया था, को साक्षात्कार के लिए चयन समिति के समक्ष बुलाया जाय जिसमें आवेदक अपने सभी मूल अभिलेख प्रस्तुत करें जिसकी समीक्षोपरांत समिति द्वारा उचित निर्णय लिया जाएगा।

ह0/–

(डा0 डी0 एस0 गंगवार)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग

ज्ञापांक – 15/सी2–206/2015–33
पटना, दिनांक 08/11/2016

प्रतिलिपि :– निदेशक, उच्च शिक्षा/प्रभारी निदेशक, ग्रामीण प्रतिष्ठान बिरौली, समस्तीपुर / प्रशाखा पदाधिकारी –15 एवं सभी आवेदकों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(डा0 डी0 एस0 गंगवार)
प्रधान सचिव
शिक्षा विभाग